- (f) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (6) and/or (7) applicable of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (g) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (h) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1) (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (i) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (j) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (k) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/254/122/2024/F/F. No. 8(122)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

YUVIKA PANWAR, Assistant Director

## आदेश

का. आ. 1551(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं का.आ. 639(अ) दिनांक 12.02.2018, 1464(अ) दिनांक 02.04.2018, 1488(अ) दिनांक 29.03.2019, 1217(अ) दिनांक 25.03.2020, 1334(अ) दिनांक 25.03.2021, 1502(अ) दिनांक 30.03.2022, 5249(अ) दिनांक 11.11.2022, 1572(अ) दिनांक 31.03.2023 और 1502(अ) दिनांक 25.10.2023 जारी में उस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 की अपेक्षा वर्ष 2023 के लिए @ 0.00551% की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के वर्णित अधिकतम मूल्यों,वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत, स्तंभ (3) में वर्णित इकाई के मद्देनजर दिनांक 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:

#### सारणी

क. सं.	(कोरोनरी स्टेंट्स) (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची—I में क.सं.28)	इकाई (संख्या में)	अधिकतम कीमत (थोक मूल्य सूचकांक सहित 0.00551% की दर से 01.04.2024 से प्रभावी (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सादे घातु स्टेंट	1	10509.79
2	औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक डीईएस और जैव अवशोष्य वाहिका ढांचा (बीवीएस)/जैव अवक्रमणीय स्टेंट सम्मिलित हैं।	1	38267.18

नोट:-

- (क) सभी मौजूदा निर्माताओं / आयातकों को कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है) से कम है, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के साथ पिठत डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16(2) के अनुसार वर्ष 2022 की अपेक्षा वर्ष 2023 के लिए @ 0.00551% की दर से थाक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अपनी कोरोनरी स्टेंट का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकते हैं
- (ख) अगर निर्माताओं /आयातकों ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड सकते है।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विकेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (घ) विनिर्माता/आयातक या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करतो हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पिठत डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सिहत अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

[कां. सं. / 254 / 122 / 2024 / एफ / फा. सं. 8(122) / 2024 / डीपी / एनपीपीए.—डिवी—II] युविका पंवार, सहायक निदेशक

### **ORDER**

New Delhi, the 26th March, 2024

**S.O. 1551(E).**—In continuation of the notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers vide S.O. 639(E) dated 12.02.2018, S.O. 1464(E) dated 02.04.2018, S.O. 1488(E) dated 29.03.2019, SO. 1217(E) dated 25.03.2020, S.O. 1334(E) dated 25.03.2021, 1502(E) dated 30.03.2022, 5249(E) dated 11.11.2022, 1572(E) dated 31.03.2023 and 4663(E) dated 25.10.2023 regarding the fixation of ceiling price of the Coronary Stents as specified in column no. (2) mentioned in the table below; after considering the Wholesale Price Index (WPI) @ 0.00551% for the year 2023 over 2022, it has been decided to revise the ceiling prices of Coronary Stents as mentioned in column no. (4) in the table below, exclusive of Goods and Services Tax as applicable, and unit specified in column (3) with effect from 01.04.2024, as under:

#### **TABLE**

Sl. No.	Coronary Stents (Sl. No. 28 in Schedule-I of the DPCO, 2013)	Unit (in Number)	Ceiling price (wef 1.4.2024 with WPI @0.00551%) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bare Metal Stents	1	10509.79
2	Drug Eluting Stents (DES) including metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable Stents	1	38267.18

### Notes: -

(a) All the existing manufacturers/importers of Coronary Stents having MRP lower than the ceiling price specified in column (4) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing MRP of Coronary Stent, on the basis of WPI @ 0.00551% for the year 2023 over 2022 in accordance with Paragraph 16(2) of DPCO, 2013, read with Para 13(2) of DPCO, 2013.

- (b) The manufacturers/importers of Coronary Stents may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (4) of the aforesaid table.
- (c) As per Para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer/importers, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (d) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955

[PN/254/122/2024/F/F. No. 8(122)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

YUVIKA PANWAR, Assistant Director

## आदेश

# नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का. आ. 1552(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013, का.आ. 1192(अ) तारीख 22 मार्च, 2016 और का.आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 11 के उप पैरा (3) और (4), पैरा 14 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के शुद्धि—पत्र आदेश का. आ. 1500(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022, का.आ. 4591(अ) दिनांक 29.09.2022, का.आ. 1571(अ) दिनांक 31.03.2023, का.आ. 4663(अ) दिनांक 25.10.2023, का.आ. 4887(अ) दिनांक 10.11.2023 और का.आ. 424(अ) दिनांक 02.02.2024 आदेश के अधिक्रमण में जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी 'क' में विनिर्मित पैक, नीचे दी गई सारणी ख में विनिर्दिष्ट निर्माता के विशेश उत्पाद एवं पैक आकार, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धरण प्राधिकरण, एतद्द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), 2023 पर आधारित संशोधन करता है, जैसा कि नीचे की सारणी 'क' के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई (यूनिट)/पैकेजिंग सिहत उस सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की वस्त एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी क वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर संशोधित मूल्य @ 0.00551% बढाकर

क्रम सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत ( <b>@ 0.00551</b> % की दर से 01.04.2024 से प्रमावी) (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्लूकोज	इंजेक्शन 5%	1000 मिलि गैर—काँच विशेष विशेषताओं सहित	95.11
2	ग्लूकोज	इंजेक्शन 5%	500 मिलि गैर—काँच विशेष विशेषताओं सहित	82.27
3	ग्लूकोज (ए)+सोडियम क्लोराइड (बी)	इंजेक्शन 5 <b>%</b> (ए)+0.9 <b>%</b> (बी)	1000 मिलि गैर—काँच विशेष विशेषताओं सहित	99.94
4	ग्लूकोज (ए)+सोडियम क्लोराइड (बी)	इंजेक्शन 5% (ए)+ o. 9% (बी)	500 मिलि गैर—काँच विशेष विशेषताओं सहित	85.52
5	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन 0.9%	100 मिलि गैर—काँच विशेष विशेषताओं सहित	42.06
6	सोडियम क्लोराइड	इंजेक्शन ०.9%	250 मिलि गैर—काँच विशेष विशेशताओं सहित	62.10